न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम........... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.8.22	आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रामगढ तहसील महवा की आराजी ख० नं० 283 व 286 कुल किता 2 रकबा 0.79 हैक्टर प्रार्थी के पिता बालाराम की खातेदारी की आराजी भूमि थी जिसमे 3/4 हिस्सा है। पिता बालाराम के मरने के बाद प्रार्थी एवं उसके भाई ओमप्रकाश व केदार पिता बालाराम को भूमि विरासत में प्राप्त हुई। प्रार्थी का नाम प्रारम्भ से ही राजूलाल है व समस्त दस्तावेजात में भी राजूलाल है। पटवारी द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खोले जाने पर राजूलाल की जगह राजेन्द्र दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी को जानकारी नही थी। प्रार्थी दिनांक 24.2.20 को अपनी खातेदारी की भूमि का बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये गया तो मैनेजर ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से मना कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी को लाभ नही मिल पाया जिससे काफी क्षति हुई है। अतः न्याय हित में प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के स्थान पर राजूलाल संशोधन फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। सरकार पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया। जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी का नाम जमाबंदी में सहवन से राजूलाल के स्थान पर राजेन्द्र दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजातो में राजूलाल है। अतः जमाबंदी में सही नाम राजेन्द्र के बजाय राजूलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

पजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम........... मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमने वकील प्रार्थी एवं सरकार पैरोकार की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत ग्राम पंचायत रामगढ का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड प्रति, आधार कार्ड प्रति, भामाशाह कार्ड प्रति व पासबुक बैंक ऑफ बडौदा की प्रति पेश की है जिनमें प्रार्थी का नाम राजूलाल अंकित है। इनसे प्रमाणित होता है कि प्रार्थी का असल नाम राजूलाल है। सरकारी पैरोकार द्वारा भी उक्त तथ्य की पुष्टि की है। इस प्रकार हम पाते है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः भूराजस्व अधिनियम की धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम रामगढ तहसील महवा की आराजी ख० नं० 283 व 286 कुल किता 2 रकबा 0.79 हैक्टर की जमाबंदी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र के बजाय राजूलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश की तहरीर तहसीलदार महवा को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। (न्यायिक अधिकारी) राष्ट्रीय लोक अदालत महवा (दौसा) उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा	

Scanned by CamScanner